

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर राजस्थान

## कार्यालय आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक-शिविरा/माध्य/संस्था/ एफ-1/12102/पु.अ.ग्रेड-III/सी. भ/2016/ दिनांक:-27.11.17 के द्वारा राजस्थान अधिनस्थ एवं मन्त्रालयिक सेवा बोर्ड,जयपुर द्वारा चयनित पुस्तकालय अध्यक्ष,राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 पद पर चयनोपरांत नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड-III, राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशन ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड-III के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2016 एवं एफ 12 (06) एफडी (नियम)/2005 दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार विद्यमान वेतन/नियत पारश्रमिक (रु023700/-) देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक पं.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक प. 17(15)शिक्षा-2/2014जयपुर दिनांक:-04.09.2017 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक-03.12.2017 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर पदस्थापन कर संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे।


1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करावाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ7(1)डीओपी/ए-2/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 10/- रूपयें को नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/- रूपयें के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण किये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पायी जावे तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जोकि विवहा के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लोटा दें। उपर्युक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण करवाने सम्बन्धि कार्यवाही करें। यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि नियुक्ति प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी वही है जिसका आवेदन पत्र पर फोटो चस्पा है।
7. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी.सिविल याचिका संख्या-8555/2017,11523/2017,10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहते हुए की गयी है।  
(पीटीओ)

8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसकें द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं इनके त्रुटिपूर्ण , जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क-2 /06/ पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी बचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक:-23.12.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएँ समाप्त की जायेंगी।

संलग्न- आदेश संख्या 01

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक धौलपुर

क्रमांक: जिशिअ/मा/धौ/संस्था-1/फा-नियुक्ति पु0अ0 III/2017/698

दिनांक- 03.12.17


प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु

1. श्रीमान शासन उपसचिव शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान शासन उपसचिव कार्मिक(क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. श्रीमान उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर।

5. संबंधित संस्था प्रधान ..... को मूल आवेदन पत्र संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि मूल आवेदन मय समस्त आवश्यक दस्तावेजों को सम्बन्धित की निजी पत्रावली फाईल तैयार कर अपने कार्यलय में संधारित कराना सुनिश्चित करें।

6. संबंधित आशार्थी ..... को रजिस्टर्ड डाक से उनके पते पर।

7. रक्षित प्रति

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक धौलपुर

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर

कार्यालय आदेश:-01

नव पदस्थापित पुस्तकालय अध्यक्षग्रेड गा (तृतीय वेतन श्रृंखला ) की सूची:-दिनांक:-03.12.2017

क्रमां	भेरिट नो	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	आवेदन पत्र मे अंकित स्टार्ड पता	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	15	113676	योगेश सिंह जंगी	हरीराम	30/05/1988	229,शिवनगर कालोनी गार्ड न021 कुँवरपुरा रोड,टीकमगढ़,म0प्र0	GEN	GENM	राजमावि पचगाँव,धौलपुर
2	52	111566	अजय कुमार	अर्जुन प्रसाद	15/10/1987	ग्राम-सलेमपुर,पो0समसपुर,थाना बेलगांज,जिला गया,बिहार	GEN	GENM	राजमावि विसैधा,धौलपुर
3	69	112631	अजय कुमार चौबे	रमाकान्त चौबे	03/08/1989	ग्रा.दिघवर,पो.बधुरी, जिला चन्दौली, उ0प्र0	GEN	GENM	राजमावि सिधावली बरेह,धौलपुर
4	309	100336	अशोक गोटवाल	बद्रीप्रसाद टेलर	16/02/1981	ग्रा.पो. बस्सीनागान वाया कालवाड, जिला जयपुर	OBC	OBCM	राजमावि निधैरा खुर्द,सैमक
5	603	105798	सुमरथ लाल भीना	हीरा लाल भीना	12/10/1982	गांव-गोरधनपुरा, पो.बडौदा वाया नारौली, तह. सपोटरा जिला करौली	ST	STM	राजमावि टाँटरी,बाडी
6	656	108304	नितेश कुमार केकडिया	गोपाल चन्द वर्मा	03/10/1990	कृष्णाविहार कालोनी,गार्ड न06, रेनवाल रोड,चौमू जिला-जयपुर	SC	SCM	राजमावि खेरली,राजाखेडा

जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक धौलपुर